# न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री हेमराज गुर्जर R.A.S.)

प्रकरण सं. 21/2020
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 14.09.2020

1. रामखिलाड़ी पुत्र श्री पूरन जाति बाबाजी निवासी टोहिला तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)

प्रार्थी / सायल

बनाम

1. गंगाराम पुत्र प्रकाशचन्द जाति बैरागी (बाबाजी) निवासी लखनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)
2. नरेन्द्र पुत्र प्रकाशचन्द जाति बैरागी (बाबाजी) निवासी लखनपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)

अप्रार्थी / गैरसायलान

उपस्थित श्री रामकिशन पूनिया एण्ड0

श्री अशोक कुमार एण्ड0

## निर्णय

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए के तहत पेश किया गया।
2. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 1038 रकबा 0.34, 1039 रकबा 0.35, 1046 रकबा 0.04, 1047 रकबा 0.10, 964 रकबा 0.18 व खाता सं. 638 का खसरा नम्बर 1040 रकबा 0.27 वाके ग्राम लखनपुर तहसील नदबई पर स्थित है।
3. यह है खसरा नम्बर 1038 व 1039 सायल की खातेदारी काश्तकार का रकबा व 1040 गैर सायलान की खातेदारी का रकबा है।
4. यह है कि सायल अपने खसरा नम्बरान 1038 व 1039 को मुताबिक नक्शा व रिकार्ड के अनुसार ही जोतता बोता चला आ रहा है। परन्तु गैरसायलान ताकतवार व लट्ठ वाले व्यक्ति है जिसका खसरा नम्बरान 1040 सायल के खसरा नम्बरान से लगा हुआ है जिसकी डौर,मेढ, तौड़कर गैर सायलानो ने अपने नम्बर में मिला लिया है व मुताबिक नक्शा खसरा नम्बरान की भौतिक स्थिति को परिवर्तित कर दिया गया है। जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार न[illegible]
5. यह है कि दिनांक 14.05.2020 को गैर[illegible] जबरदस्ती बिना विधिक प्रक्रिया के बिना नोटिस दिये गैर सा[illegible] भौतिक स्थिति को बदल दिया तकादा करने पर [illegible] गये खुले आम [illegible] दी कि इस तरह से ही भौतिक स्थिति को बदलेंगे। अ[illegible] गैरसायलान द्वारा अ[illegible] धमकी से

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:00:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

कामयाब हो गये तो सायल को अजीम क्षति होगी। जिसकी पूर्ति जरिये नकद नहीं हो सकेगी। अतः सायल गैरसायलानों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं कि वे सायल के खसरा नम्बरान की डौर मेंढ नही तोडे मदाखलत मजामहत नहीं करें भौगोलिक स्थिति नहीं बदलें।

6. अंत में प्रार्थना की है कि प्राईमाफेसी, सुविधा का संतुलन सायल के हक में साबित है। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार कर गैरसायलान को ताफैसला मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे सायल की खातेदारी के खसरा न. 1038 व 1039 की डौर मेंढ को नहीं तोडे तथा उक्त भूमि की भौगोलिक स्थिति को नहीं बदले।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये, तथा अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से श्री अशोक कुमार एडवोकेट उपस्थित हुये, अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र नहीं किये जाने हेतु निवेदन किया गया, तथा दिनांक 10.09.2020 को प्रार्थीगण के खसरा न. 1038, 1039, 1046, 1047, 964 व 1040 में काश्त करने में दखलंदाजी नहीं करने हेतु अपनी सहमति पत्रावली पर दी गई।

सायल/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 212 आरटीए के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संबत 2074 से 77 वाके ग्राम लखनपुर पेश किया गयें।

हमने उभय पक्षकारान के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गयी प्रार्थी द्वारा अपनी बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

1.**प्राईमाफेसी केस**– विवादित आराजी का प्रार्थी खातेदार काश्तकार रेवन्यू दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी से अप्रार्थी का कोई संबंध व कोई सरोकार नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से प्रार्थीगण के खसरा न. 1038, 1039, 1046, 1047, 964 व 1040 में काश्त करने में मदाखलत व मजामहत नहीं करने हेतु अपनी सहमति दी गई, परन्तु प्रार्थी द्वारा सायल के खसरा न. 1038 व 1039 की डौर मेढ नहीं तोडने हेतु मदाखलत व मजामहत नहीं करने हेतु अनुतोष चाहा है। अत प्रथम दष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित है।

2.**सुविधा का संतुनलन** :– प्राईमाफेसी केस प्रार्थी के पक्ष में है अतः सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

3.**अपूर्णीय क्षति** :– अगर गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया जाता है तो सायल के खसरा नम्बरान की भौतिक स्थिति बदलने की सम्भावना है। जो कि प्रार्थी के लिये अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः उक्त बिंदुवार निर्णय के अनुसार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण क्षति भी अप्रार्थीगण के हक में बखूबी साबित है। अत विवादित आराजी खसरा न. 1038 रकवा 0.34, 1039 रकवा 0.35 वाके ग्राम लखनपुर तहसील नदबई पर स्थित है प्रार्थी के खसरा नम्बरान में काश्त करने में मदाखलत मजामहत नहीं करने हे[illegible] [illegible] जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2020 को [illegible] सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:00:47 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई

सहायक कलेक्टर
नदबई जिला भरतपुर